DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI
5 मई, 2023 PAPERS---------------------DATED---------------------

औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगी कंझावला की 920 एकड़ भूमि

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : राजधानी दिल्ली मे औद्योगिक बुनियादी ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, विस्तार करने और अवैध औद्योगिक इकाइयो को गैर-औद्योगिक क्षेत्रो मे काम करने से रोकने के लिए उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना ने कंझावला मे 920 एकड भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप मे विकसित करने की मंजूरी दी है। दावा किया जा रहा है कि यह कदम उत्तर-पश्चिम दिल्ली में दिल्ली इडस्ट्रियल डेवलेपमेंट ऑपरेशन एड मेंटेनेंस (डीआईडीओएम) अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली स्टेट इडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (डीएसआईआईडीसी) द्वारा कंझावला के विकास को मजबूत करेगा। एलजी ने कंझावला के अलावा बापरोला गाव में अतिरिक्त 300 एकड भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के परामर्श से बापरोला में उपलब्ध भूमि के उपयोग को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने का निर्देश दिया है।

बापरोला में 300 एकड़ भूमि में से डीएसआईआईडीसी के पास 137.63 एकड़ भूमि है, जिसमें से मात्र 55.20 एकड भूमि का भूमि उपयोग औद्योगिक क्षेत्र के रूप में है। अतःशेष 82.43 एकड़ भूमि के उपयोग को बदलने और ड्राफ्ट मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 में डीडीए द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की जरूरत है। इस तरह से औद्योगिक विकास के लिए दोनों क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी मेंसंयुक्त रूप से1220 एकड़ भूमि प्रदान करेंगे।

एलजी की मंजूरी के बाद डीएसआईआईडीसी कंझावला को डीआईडीओएम अधिनियम 2010 के अंतर्गत एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करेगा। साथ ही वह इकाइयां जो एमपीडी-2021 की नकारात्मक श्रेणी (नेगेटिव लिस्ट) में शामिल नहीं हैं जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित इकाइयां, फूड प्रोसेसिंग, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, कपड़ा, बिजली के सामान 'एवं उपकरण, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर और मशीनरी आदि इन औद्योगिक क्षेत्रों से संचालित हो सकेंगी।

दैनिक भास्कर
शुक्रवार 05 मई, 2023

कंझावला को सौगात • 920 एकड़ में बनेगा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, बापरोला में भी 300 एकड़ भूमि को मिली मंजूरी

एलजी ने डीडीए के परामर्श से उद्योग विभाग को भूमि उपयोग बदलने का दिया निर्देश, बापरोला की चिन्हित जमीन औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील होगी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है। एलजी वीके सक्सेना ने कंझावला को सौगात देते हुए इसे सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की प्लानिंग तैयार की है। एलजी ने कंझावला में 920 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इससे बापरोला में भी 300 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का रास्ता साफ हुआ है। दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (डीआईडीओएम) अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (डीएसआईआईडीसी) की ओर से कंझावला के विकास को मजबूती दी जाएगी। एलजी ने दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के परामर्श से बापरोला में उपलब्ध भूमि के उपयोग को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने का निर्देश दिया है।

300 एकड़ भूमि में डीएसआईआईडीसी के पास 137.63 एकड़ भूमि

डीएसआईआईडीसी के पास बापरोला में 300 एकड़ में 137.63 एकड़ भूमि है। इसमें से मात्र 55.20 एकड़ भूमि का भू उपयोग औद्योगिक क्षेत्र के रूप में है। शेष 82.43 एकड़ भूमि के उपयोग को बदलने और ड्राफ्ट मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 में डीडीए द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की जरूरत है। इस तरह से औद्योगिक विकास के लिए दोनों क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी में संयुक्त रूप से 1220 एकड़ भूमि प्रदान करेंगे। एलजी की मंजूरी के बाद डीएसआईआईडीसी कंझावला को डीआईडीओएम अधिनियम 2010 के अंतर्गत एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करेगा।

एमपीडी की निगेटिव लिस्ट में शामिल नहीं है कंझावला

एलजी के अनुसार, कंझावला औद्योगिक क्षेत्र एमपीडी-2021 की नेगेटिव लिस्ट में शामिल नहीं हैं जैसे- आईटी और संबंधित इकाइयां, फूड प्रोसेसिंग, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, कपड़ा, बिजली सामान एवं उपकरण, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, मशीनरी इन से संचालित हो सकेंगी। यहां डीएसआईआईडीसी रोड नेटवर्क, सीवेज, जल निकासी व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, बागवानी विकास, अग्निशमन प्रणाली, विद्युत, दूरसंचार और मेनटेनेंस पर काम करेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPE[R] the pioneer
NEW DELHI I FRIDAY I MAY 5, 2023

Kanjhawala, Baprola land for industrial use

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Kanjhawala and Baprola village in Northwest Delhi would be developed as industrial areas in the coming days. The two industrial areas combined will provide a whopping 1220 acres of land for industrial development in the National Capital.

In a step that would rationalize and augment the industrial infrastructure in the National Capital and deter the illegal industrial units from operating in non-industrial areas, Lieutenant Governor, VK Saxena has approved the development of 920 acres of land in Kanjhawala as an "industrial area", making it one of the biggest industrial areas in Delhi. The move will enable the development of Kanjhawala in North West Delhi by Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC) as per the provisions of the Delhi Industrial Development, Operation & Maintenance (DIDOM) Act, 2010.

In addition to Kanjhawala, the LG has also paved the way for development of another 300 acres of land in Baprola village as an industrial area. Delhi has 29 industrial areas and most are struggling with poor

infrastructure.

"The LG has directed the Industries Department, GNCTD, to get the land use of the available land parcel in Baprola changed to "industrial", in consultation with the Delhi Development Authority (DDA). Out of the 300 acres of land in Baprola, DSIIDC is in the possession of 137.63 acres of land out of which land use of only 55.20 acres of land is "industrial". Accordingly, the land use of the remaining 82.43 acres of land needs to be changed and notified as "industrial" by the DDA in MPD 2021," Raj Niwas said in a statement.

After the LG's approval, the DSIIDC will notify Kanjhawala as an industrial area under the DIDOM Act, 2010. With this, a number of units that are not in the negative list of the MPD-2021, like information technology and related units, food processing, media, electronics and telecommunication, textile, electrical goods and appliances, automobile, furniture, fixtures and machinery among others can operate out of these industrial areas.

"Development of the Kanjhawala and Baprola Industrial Areas will facilitate regulated industrial growth in the capital. With this, the illegal operation of hundreds of industrial units from commercial/residential areas that often cause mishaps and unregulated pollution will be contained to a great extent.

millenniumpost
FRIDAY, 5 MAY, 2023 | NEW DELHI

L-G okays development of 920 acres in Kanjhawala as 'industrial area'

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lt Governor VK Saxena has approved the development of 920 acres of land in Kanjhawala as an "industrial area" making it one of the biggest industrial clusters in the city, officials said on Thursday.

In addition to Kanjhawala, the L-G has also paved the way for development of another 300 acres in Baprola village as an industrial area where an electronic city is proposed to be set up by the Delhi government, officials at the L-G office said.

The move will rationalise and augment the industrial infrastructure in the national capital and deter illegal industrial units from proliferating in non-conforming areas, they said.

Setting up of industrial area in Kanjhawala in North West part of the city will be undertaken by the Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC) in accordance with the provisions of the Delhi Industrial Development, Operation & Maintenance (DIDOM) Act, 2010.

Saxena has directed the Industries Department to get the land use of the available land parcel in Baprola changed to "industrial", in consultation with the Delhi Development Authority (DDA).

Out of the 300 acres in Baprola, the DSIIDC is in the possession of 137.63 acres out of which land use of only 55.20 acres is "industrial". Accordingly, the land use of the remaining 82.43 acres needs to be changed and notified as "industrial" by the DDA in MPD 2021, the officials said.

The two industrial areas combined will provide a whopping 1,220 acres of land for industrial development in the national capital.

After the L-G's approval, the DSIIDC will notify Kanjhawala as an industrial area under the DIDOM Act, 2010, paving the way for setting up of information technology, food processing, media, electronics and telecommunication, textile, electrical goods and appliances, automobile, furniture, fixtures and machinery among others.

THE HINDU Friday, May 5, 2023
DELHI

Dwarka residents blame DDA for 'destroying' waterbody

Residents in Dwarka have blamed the Delhi Development Authority for "destroying" a water body in Sector 23 by releasing sewage into it. Diwan Singh, an environmentalist, said the damage has also resulted in the death of fish in the waterbody, which was revived by efforts of the resident welfare associations in the sub-city and nearby villages. The urban body said the problem arose due to the discharge of overflowing sewage. "The DDA is continuously following up on the matter. Meanwhile, the sewage has been blocked," said a senior official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
SATURDAY, 6 MAY, 2023 | NEW DELHI

Bharat Vandana Park to come up in Dwarka

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Bharat Vandana Park coming up in Dwarka sub-city in Delhi will have a glimpse of India's rich cultural and architectural heritage in the form of replicas of famous monuments and places including ghats of Varanasi, Odisha's Sun temple, Viceregal Lodge, Charminar, Vishwanath Temple and Leh Palace. The lotus-shaped park, spread over 220 acres, is being developed by the Delhi Development Authority and will be a major tourist attraction in the city after completion, officials said.

A presentation on 36 monuments and finest pieces of India's rich cultural heritage from different states and union territories was recently made before Lt Governor VK Saxena, they said.

The L-G has directed officials to complete it before Independence Day this year.

He has asked officials to explore the possibility of providing a real-life experience to visitors using virtual reality. The replicas of the monuments and other heritage cultural landmarks to be installed inside the park will be constructed using material used in building the real ones, they said.

The list of monuments to be installed in the park include Sun temple, Odisha; Bhoramdev temple, Chattisgarh; Kamakhya temple, Assam; Kedarnath, Uttarakhand; and Lepakshi Nandi, Andhra Pradesh.

A replica of the Parliament House at the park will showcase Delhi's architectural richness.

Viceregal Lodge, Himachal Pradesh; Cellular Jail, Andman and Nicobar Islands; Hawa Mahal, Rajasthan; House boat, Jammu and Kashmir; Golghar, Bihar; Stone chariot, Hampi, Karnataka; Charminar, Telangana; Light House, Lakshadweep; Victoria Memorial Hall, West Bengal; and Virasat-e Khalsa, Punjab, will be also showcased there. Caves of Elora in Maharashtra; Leh Palace, Ladakh; Live Tree bridge, Banaras Ghat; and Vishwanath temple, UP; Live Tree bridge, Meghalaya; engravings at Vanghchhia village (Mizoram); Brahm Sarovar (Haryana) too will be at display at the park.

पंजाब केसरी DELHI ▶ 6 मई, 2023

दो सप्ताह में डीडीए से मांगा हलफनामा | **25 मई को अगली सुनवाई**

कालकाजी मंदिर और लोटस टेंपल के समीप निर्माण कार्य रोके डीडीए : कोर्ट

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से लोटस टेंपल और कालकाजी मंदिर से सटी भूमि पर निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रतिबा एम सिंह ने कहा कि इस इलाके में निर्माण से उस क्षेत्र की भव्यता प्रभावित हो सकती है। जस्टिस ने यह निर्देश तब दिया जब कालकाजी मंदिर से संबंधित मामलों पर सुनवाई के दौरान पेश की गईं तस्वीरों से मालूम चला कि इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है।

जस्टिस ने कहा कि डीडीए की जांच के बाद उसका यह रुख रहा है कि कालकाजी मंदिर क्षेत्र एक हरा-भरा क्षेत्र है। लेकिन ऐसा लगता है कि डीडीए ने अचानक अपने आप सीमांकन किया और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा है। जस्टिस ने कहा कि आगे की सुनवाई को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास पर उल्टा असर न पड़े। तब तक डीडीए और ठेकेदार निर्माणाधीन जमीन पर काम बंद करें। बेंच ने डीडीए से इस मुद्दे पर दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि वह हलफनामें में बताए कि पिछली बार किसी सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए भूमि का उपयोग कब्र किया गया था। क्या डीडीए ने उसे हरित क्षेत्र बनाए रखा है। बेंच ने हलफनामें में जवाब मांगते हुए सुनवाई 25 मई के लिए स्थगित कर दी।

डीडीए ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से कहा कि निर्माण मुख्य रूप से अस्थाई है। इसपर जस्टिस ने कहा कि कोई भी निर्माण लोटस टेंपल के दृश्य को प्रभावित करेगा। इसके अलावा यह भूमि कालकाजी मंदिर से सटी हुई है, जिसके पुनर्विकास पर विचार किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया था कि कालकाजी मंदिर और लोटस टेंपल से सटी जमीन पर नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है और खुदाई जारी है। ये निर्माण गतिविधियां तीसरा पक्ष कर रहा है, जिसे डीडीए ने जमीन पट्टे पर दी थी।

6 मई • 2023 राष्ट्रीय सहारा

लोटस टेंपल व कालकाजी मंदिर के बीच जारी निर्माण पर रोक लगाए डीडीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से लोटस टेंपल एवं कालकाजी मंदिर से सटे भूमि पर निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इलाके में निर्माण से क्षेत्र की भव्यता प्रभावित हो सकती है। न्यायमूर्ति प्रतिबा मनिंदर सिंह ने यह निर्देश तब दिया जब कालकाजी मंदिर से संबंधित मामलों पर सुनवाई के दौरान पेश की गई तस्वीरों से मालूम चला कि इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है।

- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए डीडीए को निर्देश
- इस इलाके में निर्माण से क्षेत्र की भव्यता प्रभावित हो सकती है : हाईकोर्ट
- डीडीए से इस मुद्दे पर दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

न्यायमूर्ति ने कहा कि डीडीए की जांच के बाद उसका यह रुख रहा है कि कालकाजी मंदिर क्षेत्र एक हरा-भरा क्षेत्र है। लेकिन ऐसा लगता है कि डीडीए ने अचानक अपने आप सीमांकन किया और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा है। न्यायमूर्ति ने कहा कि आगे की सुनवाई को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास पर उल्टा असर न पड़े। तबतक डीडीए एवं ठेकेदार निर्माणाधीन जमीन पर काम बंद करें। उन्होंने डीडीए से इस मुद्दे पर दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि वह हलफनामे में बताए कि पिछली बार किसी सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए भूमि का उपयोग कब किया गया था या क्या डीडीए ने उसे हरित क्षेत्र बनाए रखा है। न्यायमूर्ति ने इसके साथ ही सुनवाई 25 मई के लिए स्थगित कर दी।

डीडीए ने कहा था कि निर्माण मुख्य रूप से अस्थायी है। इसपर न्यायमूर्ति ने कहा कि कोई भी निर्माण लोटस टेंपल के दृश्य को प्रभावित करेगा। इसके अलावा यह भूमि कालकाजी मंदिर से सटी हुई है, जिसके पुनर्विकास पर विचार किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि कालकाजी मंदिर और लोटस टेंपल से सटी जमीन में नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है और खुदाई जारी है। निर्माण गतिविधियां तीसरा पक्ष कर रहा है, जिसे डीडीए ने जमीन पट्टे पर दी थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS------ रविवार, 7 मई 2023 ----------DATED--------------------

धरोहर

उपराज्यपाल ने विभिन्न एजेंसियों को दिया निर्देश, कहा निश्चित समय सीमा के साथ तैयार करें योजना

बलबन का मकबरा, जमाली-कमाली मस्जिद का होगा पुनरुद्धार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राजधानी के ऐतिहासिक स्थलों के दिन भी बहुरेंगे। इसकी कमान भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संभाल ली है। उन्होंने बलबन के मकबरे, जमाली-कमाली मस्जिद, राजाओं की बावली के लिए जल्द से जल्द एक निश्चित समय सीमा के साथ एक पुनरुद्धार योजना पर काम करने को कहा है।

महरौली पुरातत्व पार्क में उपराज्यपाल वीके सक्सेना । अमर उजाला

शनिवार को केंद्रीय राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ उपराज्यपाल ने महरौली आर्किलोजिकल पार्क में कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने, क्षेत्र का संरक्षण करने के लिए एक तय सीमा में एक योजना बनाने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने अधिकारियों को इमारतों की मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं उपराज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक स्थल पर पाए गए नक्काशीदार पत्थर और महत्वपूर्ण अवशेषों को संरक्षित करने और सभी महत्वपूर्ण अवशेषों को एक संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। उन्होंने आरक्षित संजय वन में मौजूद बावली का भी निरीक्षण किया।

भोजनालय की व्यवस्था के दिए निर्देश

उपराज्यपाल ने कहा कि महरौली के आर्किलोजिकल पार्क में कुछ क्षेत्र एएसआई और कुछ डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए विभागों को अपने बीच सभी मतभेदों को दूर कर जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों को समय से पूरा करना होगा। इसके बाद उन्होंने साइटों पर आने वाले हजारों पर्यटकों के लिए डीडीए को व्यापक लैंडस्केपिंग करने और एक भोजनालय के विकास की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

sunday pioneer

SUNDAY | MAY 7, 2023

Prepare plan for restoration of monuments, officials told

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Saturday visited the Mehrauli archaeological park and directed officials to prepare a plan for the restoration of monuments such as the Balban tomb, the Jamali-Kamali mosque and the Rajaon ki Baoli. The plan, he said, should be made at the earliest with fixed timelines for the works to be done under it, according to officials.

Saxena, who was accompanied by Union Minister of State for Culture Meenakshi Lekhi and Delhi Chief Secretary Naresh Kumar, also issued directions to sort out scattered carved stones and relics at the park to be displayed at a museum, they said.

The park in Mehrauli also houses the iconic Qutub Minar, besides the Balban tomb, the Jamali-Kamali mosque and the Rajaon ki Baoli. "The restoration and beautification of these places has to be done in coordination by the ASI (Archeological Survey of India), the DDA (Delhi Development Authority) and other authorities concerned in a time-bound manner," Saxena said.

Some parts of the archaeological park come under the jurisdiction of the DDA and some under the ASI.

The Lieutenant Governor (LG) said departments and agencies involved in preservation and upkeep of the archaeological park should sort out their differences, if any, and take assistance of experts in case a need arises. "All differences have to be sorted out between departments, and restoration and development works have to be completed in time," he emphasised.

पंजाब केसरी

DELHI

एलजी ने किया महरौली के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना ने शनिवार को महरौली स्थित पुरातत्व पार्क में कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों का दौरा किया। इस अवसर पर एलजी ने संबंधित अधिकारियों से विरासत स्थल में और आसपास से अतिक्रमणों को हटाने और संरक्षण कार्यों को समयबद्ध योजना के अनुसार करने के निर्देश दिए। एलजी ने अधिकारियों से मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्यों में विशेष ध्यान देने के साथ यहां मिले नक्काशीदार पत्थरों और अवशेषों को अलग करने के साथ संग्रहालय में संरक्षित करने के भी निर्देश दिए। जहां इन अवशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा। महरौली पुरातत्व पार्क दौरे में सक्सेना के साथ दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। एलजी ने महरौली पुरातत्व पार्क में प्रसिद्ध कुतुब मीनार के अलावा बलबन का मकबरा, कमाली-जमाली मस्जिद और अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संरक्षित संजय वन स्थित 'बाओलिस" का भी दौरा किया। सक्सेना ने कहा कि इन स्थानों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण एएसआई, डीडीए और अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से किया जाना है। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यालय से हरसंभव सहयोग देने की भी बात कही। ज्ञात रहे कि महरौली पुरातत्व पार्क का कुछ क्षेत्र एएसआई के अधिकार क्षेत्र में और कुछ डीडीए के अंतर्गत आता है। एलजी ने संजय वन में जल निकायों के जीर्णोद्धार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI 8 मई, 2023 ▶ सोमवार

हरी-भरी दिल्ली | एलजी ने यमुना के तीन आइलैंड पर लगाए चेरी ब्लॉसम और चिनार के पौधे, यमुना किनारे कई तरह के पुष्पीय पौधों के बीजों का भी छिड़काव

'फूलों का शहर' नाम से जानी जाएगी दिल्ली

● कुदसिया घाट से लेकर आईटीओ बैराज तक 300 चेरी ब्लॉसम व चिनार के लगेंगे पौधे

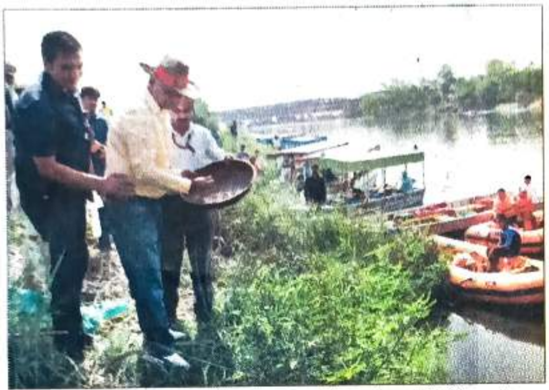

▶▶ यमुना किनारे चेरी ब्लॉसम व चिनार के पौधे लगाते एलजी वीके सक्सेना।

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली फूलों का शहर बनने जा रहा है। एलजी वीके सक्सेना के अथक प्रयासों से दिल्ली की हरियाली में विशेष कर यमुना के आस पास के क्षेत्र में, अब जल्द ही सफेद और गुलाबी चेरीब्लॉसम और सुर्ख लाल और पीले पत्तों से लदे चिनार के पेड़ चार-चांद लगाते हुए दिखेंगे।

एलजी ने इस दिशा में रविवार को पहली बार दिल्ली में यमुना के किनारे चेरी ब्लॉसम और चिनार के 300 पौधे लगाए। एलजी ने कुदसिया घाट से लेकर आईटीओ बैराज तक के बीच यमुना में स्थित तीन आइलैंड पर 300 चेरीब्लॉसम और चिनार के पौधे लगाने के साथ ही इसका शुभारंभ किया। चेरी ब्लॉसम और चिनार के पौधे पहली बार दिल्ली में लगाए गए है। यमुना के इन आइलैंडों पर चेरी ब्लॉसम और चिनार के अलावा ,कचनार, वीपिंग विलो, सेमल, बॉटल ब्रश, बोगन विलिया और कनेर के 1400 से ज्यादा पुष्पीय पौधे लगाए गए हैं। एलजी सक्सेना की उपस्थिति में इन तीनों आइलैंड पर कुल 1733 पौधे लगाए गए। चिनार और चेरी ब्लॉसम के पौधों को तीनों आइलैंड पर सबसे ऊंचे क्षेत्र में लगाया गया है। इस पौधों को आपस में तीन मीटर की दूरी पर लगाया गया है जबकि बाकी बची जगहों पर ग्रिड फॉर्मेशन में अन्य पौधे लगाए गए हैं।

अधिकारियों ने एलजी को बताया कि चिनार और चेरी ब्लॉसम के पौधे को एक महीने तक संतुलित वातावरण में नर्सरी में रखा गया ताकि दिल्ली के मौसम में यह अनुकूलित हो सके। इसके बाद यमुना के इन तीनों आइलैंड पर इन पौधों को लगाया गया है। एलजी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन आइलैंडों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने टेरीटोरियल आर्मी लगाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने वन विभाग से पेड़-पौधों की रखवाली करने को कहा है। इन पौधों के अलावा विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पौधे और सुदर झाड़ियों जैसे कि गेंदा, कॉसमॉस और अन्य के बीज भी नदी के किनारे बोए गए हैं। इससे नदी के किनारे सुंदर फूलों की क्यारियां बन जाएंगी। अगले तीन दिनों में यमुना के दोनों किनारों पर ड्रोन से इन फूलों के बीज बोए जाएंगे।उम्मीद है कि दो से तीन सप्ताह के अंदर ये पुष्पीय पौधे नदी के किनारे उग आएंगे। आइलैंड पर भूमि को अपरदन न हो, इसके लिए मजबूत झाड़ी वाली घास लगाई गई हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्यसचिव, दिल्ली पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव, डीडीए के वाइस चेयरमैन, दिल्ली के मुख्य फॉरेस्ट कंजरवेटर, डीडीए के अन्यवरिष्ठ अधिकारियों और यमुना सफाई में लगी विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे।

यमुना सफाई कार्य के लिए मजदूरों की प्रशंसा की

पौधरोपण कार्यक्रम के अलावा एलजी ने आज यमुना में सफाई कार्यों का भी जायजा लिया और तेजी से हो रहे कामों पर संतोष व्यक्त किया। एलजी ने यमुना की सफाई में लगी विभिन्न एजेंसियों और यमुना मे काम कर रहे श्रमिकों की प्रशंसा की। बार महीनों से भी कम समय में एलजी श्री वीके सक्सेना का यमुना का यह 13वां दौरा था।एलजी ने यमुना की सफाई में सहयोग देने के लिए धार्मिक नेताओं और संस्थाओं की तारीफ की और कहा कि बहुत जल्दी अब यमुना की सफाई में उद्योग जगत को भी हिस्सेदार बनाया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI 8 मई, 2023 ▸ सोमवार

पुरानी कॉलोनियों को नहीं किया जा सका पुनर्विकसित

साल दर साल भूकंप के प्रति संवेदनशील हो रही दिल्ली, विशेषज्ञों के अनुसार सख्त प्लानिंग के अलावा उठाने होंगे कठोर कदम

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): पिछले कुछ सालों में दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी है। अनधिकृत कालोनियां भी बढ़ी हैं। नियमित कालोनियों में बिल्डर फ्लैट के चलन से भी आबादी कई गुना बढ़ रही है। आबादी के बढ़ने और सुविधाओं के सीमित रहने की वजह से सिस्मिक जोन-चार में शामिल राजधानी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए राजधानी में कई स्तरों पर प्लानिंग हुई। री-डिवेलपमेंट प्लान भी बनें, लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लैंड पूलिंग पालिसी रहा। इसके तहत एक भी सेक्टर अब तक फाइनल नहीं हो पाया है।

अभी तक किए गए प्रयास

अधिकारियों के अनुसार लैंड पूलिंग पालिसी 2018 में अधिसूचित हुई। लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सकी है। इसकी दो सबसे बड़ी बाधाएं यह हैं कि इसमें 70 प्रतिशत भूमालिकों का एक साथ आना और 70 प्रतिशत जमीन एक जगह मिलना जरूरी है। हालांकि ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में एफएआर बढ़ाकर पुरानी बिल्डिंगों को पुनर्विकसित करने का प्लान है। इससे राजधानी की इन कालोनियों में बसी आबादियों के लिए उंची इमारतें बनेंगी। इससे बची जगहों पर जनसुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इससे यहां पार्किंग, सड़कें, हेल्थ सर्विसेज, पार्क आदि के लिए जगह बचेगी। अगस्त-2022 में शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी पुनर्विकास में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में बदलाव भी प्रस्तावित किए हैं। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो एक बड़ी अडचन साफ होगी।

क्यों है पुनर्विकास की जरूरत

राजधानी की घनी आबादी वाली कालोनियों में इस समय बिल्डर फ्लैट्स का चलन तेजी से फलफूल रहा है। 50 से 200 गज जमीन पर चार मंजिल इमारत में यह लोग कई फ्लैट्स बना देते हैं। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स का न लेआउट प्लान होता है न क्वालिटी चेक। यह भूकंपरोधी हैं या नहीं यह तो काफी बाद में आता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ...

डीडीए के पूर्व कमिश्नर (प्लानिंग) ए के जैन ने बताया कि नियम तो अनेक हैं लेकिन उन्हें लागू करना राजधानी में मुश्किल हो रहा है। राजधानी की 50 प्रतिशत से अधिक बिल्डिंग के लिए प्लान नहीं है। गांव में निर्माण पर कोई रोकटोक नहीं है। 2007 में एक कमेटी बनी थी जिसने 80 प्रतिशत बिल्डिंग अनसेफ बताई थीं। डीडीए फ्लैट्स में भी आल्ट्रेशन काफी अधिक हो रहे है। भवन उपनियम सख्ती से लागू हो नहीं पाते। 2021 के मास्टर प्लान में अहम भूमिका निभा चुके ए के जैन ने बताया कि उन्होंने सुझाव दिया था कि गांव, पुरानी दिल्ली, अनधिकृत कॉलोनियों में 100 साल पुरानी बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाए। इनमें यदि रेट्रोफिटिंग की जरूरत होती है तो उसे सरकार सबसिडाइज्ड रेट पर करे ताकि लोगों पर बहुत अधिक बोझ न आए। इसके लिए पहले लोगों को छह महीने का समय दिया गया, फिर एक साल का, फिर दो साल का और अंत में यह रद्द हो गया। यदि रीडिवेलमेंट की बात की जाए तो इसे जूडिशरी प्रासेस में लाना होगा ताकि इलेक्टेड बॉडी की दखलअंदाजी इसमें कम हो जाए।

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर सब्यसाची दास ने बताया कि डीडीए एक्ट में जो बदलाव किए जा रहे हैं वह काफी पहले हो जाने चाहिए थे। यह पुनर्विकास के लिए जरूरी हैं। करीब दस साल पहले ही हम इसमें लेट हैं। इन बदलावों के बिना कोई भी प्लान सिरे नहीं चढ़ सकता। जमीन आज सबसे बड़ी समस्या है। लोग पुनर्विकास में हिस्सा नहीं लेते, इसी वजह से अनधिकृत और पुराने बसे एरिया के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। राजधानी में लोग सालों से एक ही जगह में रह रहे होते हैं। उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती है और यह उनकी कमाई का जरिया भी होता है। इसलिए सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं होते।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
II I MONDAY I MAY 8, 2023 S--DATED--------------------

LG plants 300 saplings of cherry blossom, chinar on islands in Yamuna

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi's lush green landscape, particularly those surrounding the River Yamuna, will resplend with the swaths of pink and white Cherry Blossom and the hues of amber, red and yellow Chinar leaves, like never before.

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Sunday planted 300 saplings (150 saplings each) of Cherry Blossom and Chinar between Qudasia ghat and ITO Barrage on the three islands in the Yamuna.

Cherry Blossom and Chinar, being planted for the first time in the national capital. Lt Governor also inspected the ongoing Yamuna cleaning operations and expressed satisfaction over the progress of the works and lauded religious leaders for extending their support to rejuvenate the river Yamuna.

Apart from Cherry Blossom and Chinar, over 1400 saplings of other floral species that include Kachnar, Weeping Willow, Semal, Bottle Brush, Bougainvillea and Kaner, were also planted on Yamuna islands.

"In all, 1733 saplings were planted on the three islands in presence of Saxena. The Chinar and Cherry Blossom saplings have been planted at the highest points on each of the three islands with three meters of space between the two saplings.

The other floral species have been planted in grid formation in the remaining areas of the islands," reads a statement issued by Raj Niwas.

Cherry Blossom, also known as Japanese Cherry, is a deciduous tree that has been adapted at several places in India like Bengaluru, Mumbai, Shimla and Shillong among others.

Similarly, Chinar is also a deciduous tree known for the peculiar shape and color of its leaves. Chinar trees can produce up to 300-400 KG of leaves per year. In India, Chinar trees are mostly found in Jamuu & Kashmir.

It is for the first time that an effort has been made to introduce Chinar and Cherry Blossom in Delhi.

The initiative is also aligned with the LG's vision of making Delhi a City of Flowers, for which he has been personally monitoring the progress of works, and coordinating with multiple agencies.

Officials informed Lt Governor that the Chinar and Cherry Blossom saplings were first kept under controlled atmosphere in nurseries for a month to let them acclimatize to Delhi's weather. Thereafter, the saplings were planted on Yamuna islands.

After this, L-G instructed the officials to deploy personnel of Territorial Army to protect these islands from any encroachment, while the Forest Department will take care of the plants. Seeds of a variety of flowering shrubs like marigold, cosmos and others were also sown along the river banks that will create a flower bed along the edges of the river. .

Over the next three days, seeds will be sown along both the banks of Yamuna using drones and in the next 2-3 weeks these flowing plants will grow.

A large number of riverine grasses have also been planted to prevent the islands from erosion.

On this occasion, LG also inspected the ongoing Yamuna cleaning operations and expressed satisfaction over the progress of the works. He appreciated the efforts of the agencies and the workers involved in Yamuna cleaning.

This was Saxena's 13th visit to Yamuna in less than 12 months of his tenure after assuming the charge of the Raj Niwas.

Saxena also lauded the religious leaders/institutions for extending their whole-hearted support to Yamuna cleaning and said very soon, industries and its leaders will be brought on board for Yamuna cleaning.

Chief Secretary, Principal Secretary, Environment and Forest Department, GNCTD, Vice Chairman, DDA, Principal Chief Conservator of Forest, GNCTD and senior officials of DDA and other stakeholder agencies were present on the occasion.

millenniumpost
NEW DELHI | MONDAY, 8 MAY, 2023

Prepare plan for restoration of monuments at Mehruali archeological park: L-G to officials

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lieutenant Governor VK Saxena on Saturday visited the Mehrauli archaeological park and directed officials to prepare a plan for the restoration of monuments such as the Balban tomb, the Jamali-Kamali mosque and the Rajaon ki Baoli.

The plan, he said, should be made at the earliest with fixed timelines for the works to be done under it, according to officials.

Saxena, who was accompanied by Union Minister of State for Culture Meenakshi Lekhi and Delhi Chief Secretary Naresh Kumar, also issued directions to sort out scattered carved stones and relics at the park to be displayed at a museum, they said.

The park in Mehrauli also houses the iconic Qutub Minar, besides the Balban tomb, the Jamali-Kamali mosque and the Rajaon ki Baoli.

"The restoration and beautification of these places has to be done in coordination by the ASI (Archeological Survey of India), the DDA (Delhi Development Authority) and other authorities concerned in a time-bound manner," Saxena said.

Some parts of the archaeological park come under the jurisdiction of the DDA and some under the ASI.

The lieutenant governor (L-G) said departments and agencies involved in preservation and upkeep of the archaeological park should sort out their differences, if any, and take assistance of experts in case a need arises.

"All differences have to be sorted out between departments, and restoration and development works have to be completed in time," he emphasised.

Saxena directed officials for removing encroachments in and around heritage places.

He took stock of the progress of works, started at the park after his visits in February, the officials said.

Saxena along with Lekhi and Kumar also visited baolis nestled in the Sanjay Van, which is a part of the south central ridge near the Qutub Minar.

Carved stones and relics lying around unattended will be preserved at a museum, the officials said and added that the DDA will soon spruce up an area for opening of an eatery for visitors.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
शुक्रवार, 05 मई 2023

OF NEWSPAPERS

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए के परामर्श पर मंजूरी दी

कंझावला में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे

बदलती दिल्ली

920 एकड़ भूमि पर विकसित करने की मंजूरी दी

1220 एकड़ जमीन कंझावला व बापरोला में देंगे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कंझावला में 920 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। राजनिवास के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि उपराज्यपाल ने डीडीए के परामर्श से दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को भूमि के उपयोग को बदलने का निर्देश दिया है।

विकसित होने के बाद यह दिल्ली का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। इससे राष्ट्रीय राजधानी में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी होगी। उपराज्यपाल ने कंझावला के अलावा बापरोला गांव में अतिरिक्त 300 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का भी मार्ग प्रशस्त किया है।

भूमि का उपयोग बदलने के निर्देश : उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को डीडीए के परामर्श से बापरोला में उपलब्ध भूमि के उपयोग को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने का निर्देश दिया है। बापरोला में 300 एकड़ भूमि में से डीएसआईआईडीसी के पास 137.63 एकड़ भूमि है, जिसमें से मात्र 55.20 एकड़ भूमि का भूमि उपयोग औद्योगिक क्षेत्र के रूप में है। इसलिए शेष 82.43 एकड़ भूमि के उपयोग को बदलने और ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2021 में डीडीए द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की जरूरत है।

राजधानी में इन इकाइयों का संचालन करने की तैयारी

औद्योगिक विकास के लिए कंझावला और बापरोला राष्ट्रीय राजधानी में संयुक्त रूप से 1220 एकड़ भूमि प्रदान करेंगे। यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी और उससे संबंधित इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, कपड़ा, बिजली के सामान एवं उपकरण, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर और मशीनरी आदि से संबंधित इकाइयां संचालित हो सकेंगी।

E TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, MAY 5, 2023

Snuffed out: Sewage diversion into pond kills fish in Dwarka

Kuhagra.Dixit@timesgroup.com

New Delhi: The fish in a pond in Dwarka Sector 23 died after raw sewage was allegedly diverted into it from a sewer for maintenance work, prompting local activists and residents lodge several complaints with different authorities.

The pond, believed to be natural, is situated in a DDA district park and is one of the oldest in the region. It turned partially dry a few days ago with water only at the middle, and dead fish emerged at the surface after the sewage was released into it, said residents of sectors 22 and 23, who helped revive it in 2012. The pond is also a source of water for animals in the park and other urban forests in the area.

The residents and activists have written to the lieutenant governor, Delhi Pollution Control Board and National Mission for Clean Ganga. "We were already raising the issue of the partially dry pond with DDA and other officials. However instead of recharging it, sewage was diverted into it on May 3 that polluted the leftover water and killed all fish," said Diwan Singh, a resident and green activist.

"After the sewage was dumped, we saw several fish coming up trying to catch air. All of them died soon though the sewage diversion was stopped after residents raised the issue with DDA officials," said Singh. The pond, spread over an acre, is called Naya Dodh and is said to be the main water source for nearby Pochanpur village.

Another resident and activist, Ravinder Kumar, held DDA officials and a private company responsible in a letter to the LG and other government agencies. He also claimed that a similar incident happened last year, following which a police complaint was lodged.

The pond is one of the oldest in the region

"This fresh waterbody is now contaminated... This is a massive damage to the waterbody and its ecosystem. The groundwater is also prone to be contaminated this way. Residents of sectors 22 and 23 and Pochanpur village have been looking after this waterbody sine 2012. It's frustrating that DDA officials just do not bother about the existence of this waterbody," the letter stated, demanding action under IPC 277 (fouling water of public spring or reservoir) and under Water (Prevention and Control) of Pollution Act, 1974.

A DDA official claimed that someone had diverted the sewage from a sewer line of Delhi Jal Board, which was damaged or under maintenance. According to a DDA statement, "The problem is due to the discharge of overflowing sewage by a public utility department in charge of the sewage system. DDA is continuously... following up the matter. However, the sewerage into the pond through the drain is blocked."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
NAME OF NEWSPAPERS---------------- नई दिल्ली, 5 मई, 2023 ---DATED----------------------

औद्योगिक क्षेत्र का रूप लेगा कंझावला

- एलजी ने उद्योग विभाग को बापरोला में उपलब्ध भूमि का उपयोग बदलने का दिया निर्देश
- डीएसआइआइडीसी की 137.63 एकड़ भूमि में से 55.20 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र में होगा उपयोग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, विस्तार करने और अवैध औद्योगिक इकाइयों को गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने से रोकने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कंझावला में 920 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। दावा किया जा रहा है कि यह कदम उत्तर-पश्चिम दिल्ली में दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपरेशन एंड मेंटेनेंस (डीआइडीओएम) अधिनियम 2010 के प्रविधानों के अनुसार दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) द्वारा कंझावला के विकास को मजबूत करेगा। एलजी ने कंझावला के अलावा बापरोला गांव में अतिरिक्त 300 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को डीडीए के परामर्श से बापरोला में उपलब्ध भूमि के उपयोग को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने का निर्देश दिया है।

बापरोला में 300 एकड़ भूमि में से डीएसआइआइडीसी के पास 137.63 एकड़ भूमि है, जिसमें से मात्र 55.20 एकड़ भूमि का भूमि उपयोग औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हो रहा है। ऐसे में शेष 82.43 एकड़ भूमि के उपयोग को बदलने और ड्राफ्ट मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 में डीडीए द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की जरूरत है। इस तरह से औद्योगिक विकास के लिए दोनों क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी में संयुक्त रूप से 1220 एकड़ भूमि प्रदान करेंगे।

एलजी की मंजूरी के बाद डीएसआइआइडीसी कंझावला को डीआईडीओएम अधिनियम 2010 के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करेगा। साथ ही वह इकाइयां, जो एमपीडी-2021 की नकारात्मक श्रेणी में शामिल नहीं हैं, जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित इकाइयां, फूड प्रोसेसिंग, मीडिया, इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, कपड़ा, बिजली के सामान एवं उपकरण, आटोमोबाइल, फर्नीचर और मशीनरी आदि यहां से संचालित हो सकेंगी। कंझावला और बापरोला औद्योगिक क्षेत्र के विकास से दिल्ली में नियमित औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे वाणिज्यिक/आवासीय क्षेत्रों में हादसों और अनियंत्रित प्रदूषण का कारण बनने वाली सैकड़ों इकाइयों के अवैध संचालन पर अंकुश लगेगा। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में उच्च स्तर के प्रदूषणरोधी उपायों और प्रदर्शन मानकों को तय करते हुए कुशल और एकीकृत तरीके से बुनियादी सुविधाओं का अपग्रेडेशन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव शामिल है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रूप में, डीएसआइआइडीसी रोड नेटवर्क, सीवेज, जलनिकासी व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, बागवानी विकास, अग्निशमन प्रणाली, विद्युत, दूरसंचार और अन्य रखरखाव और अन्य सेवाओं का निर्माण करेगा।

लापरवाही के कारण नहीं थम रहा अवैध जल दोहन

शिवानी चंद्रवंशी ◦ दक्षिणी दिल्ली

भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसके बावजूद भूजल के अवैध दोहन पर रोक नहीं लग पा रही है। इसके के लिए प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार बराबर के जिम्मेदार हैं। जिले के महरौली, छतरपुर और मैदान गढ़ी आदि इलाकों में भूमिगत जलस्तर की स्थिति गंभीर है। यहां जल संचयन के लिए मौजूद प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं। अलग-अलग इलाके में दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार और डीडीए की ओर से बनाए गए तालाब और कुएं सूख चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि फतेहपुर बेरी व छतरपुर में अब जल संचयन की व्यवस्था नहीं है।

इन इलाकों में अवैध निर्माण अवैध भूजल दोहन का बड़ा कारण है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद लोग चोरी-छिपे सबमर्सिबल लगवाते हैं। छतरपुर के लोगों ने बताया कि छतरपुर, फतेहपुरबेरी व नेब सराय इलाके में बने बड़े-बड़े फार्म हाउसों व अनधिकृत कालोनियों आदि में लगे अवैध बोर व सबमर्सिबल के कारण भारी मात्रा में भूजल निकाला जाता है और इन लोगों को रोकने के लिए जिम्मेदार कोई कदम नहीं उठाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन इलाकों में नई कालोनियां या औद्योगिक क्षेत्र विकसित होते हैं वहां पर ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा दोहन होता है। लोग भूजल का दोहन तो करते हैं, लेकिन पानी को रिचार्ज नहीं किया जाता है।

भूजल दोहन के कारण

- नई कालोनिया बनने के कारण भारी मात्रा में पानी की खपत
- भवन निर्माण में भी भूजल का इस्तेमाल किया जाना
- अवैध बोर व ट्यूबवेल से पानी निकालकर कालाबाजारी करना
- तालाब व कुओं का सरक्षण न होना, वर्षा जल सचयन न होना
- पेड़ों की कटान और नए पौधे न लगाया जाना

Hindustan Times

Industrial area label for 920 acres in Kanjhawala

Alok KN Mishra

alok.mishra1@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi lieutenant governor VK Saxena has approved the development of 920 acre of land as an industrial area in northwest Delhi's Kanjhawala, making it one of the biggest industrial areas in the Capital, officials aware of the development said.

Officials from the LG office said Saxena also paved the way for similar development of another 300 acre of land in Baprola village, on the outskirts of southwest Delhi's Najafgarh.

"The LG directed the industries department to get the land use of the available land parcel in Baprola changed to industrial, in consultation with the Delhi Development Authority (DDA)." officials said.

Out of the 300 acre of land in Baprola, Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC) Limited is in the possession of 137.63 acre out of which land use of only 55.20 acre is industrial. Accordingly, the land use of the remaining 82.43 acre needs to be changed and notified as industrial by DDA in Master Plan for Delhi 2021.

The two industrial areas together will provide a whopping 1,220 acre for industrial development. Officials said the move will enable the development of Kanjhawala. As part of the industrial area development, the DSIIDC will create the road network, sewage and drainage system, solid waste management systems, etc., officials said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, MAY 5, 2023 PERS------------------------------------DATED------------------

LG nod to proposed industrial area on a 920-acre plot in Kanjhawala

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: In a major step that will boost industrial development in the capital, lieutenant governor VK Saxena on Thursday approved a proposal to develop an industrial area on a 920-acre plot in northwest Delhi's Kanjhawala.

Agreeing in principle to the development of another 300-acre industrial area in west Delhi's Baprola, Saxena directed the industries department to first get the land use changed to industrial.

According to officials, the two industrial areas will be developed by Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC) as per Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance (DIDOM) Act, 2010. The move, said officials, would augment the industrial infrastructure in the national capital and deter illegal industrial units from operating out of residential areas.

The move, said officials, would augment the industrial infrastructure in the national capital and deter illegal industrial units from operating out of residential areas

The setting up of both industrial areas have been in discussion for a long time. Former deputy chief minister Manish Sisodia had announced in the 2022-23 budget a plan to set up an "electronic city" in Baprola, but it did not move ahead due to the non-availability of land with the industries department.

Raj Niwas officials said the LG on Thursday directed the department to coordinate with Delhi Development Authority and initiate the land-use change procedure in Baprola in Master Plan Delhi (MPD). Officials said that of the 300 acre, DSIIDC had 137.6 acre in its possession and only 55.2 acre was currently mentioned as industrial.

Delhi currently has 29 planned industrial areas with over 9,000 operational factories giving employment to more than four lakh people. The city also has 25 non-conforming industrial areas with nearly 50,000 factories.

Officials said non-polluting factories, which are not in the negative list of MPD-2021, such as those in the information technology, food processing, media, electronics and telecommunication, textile, electrical goods and appliances, automobile, furniture, fixtures and machinery sectors, could operate out of these industrial areas.

"Development of the Kanjhawala and Baprola industrial areas will facilitate regulated industrial growth. The illegal operation of hundreds of industrial units from commercial and residential areas that often cause mishaps and unregulated pollution will be contained to a great extent," said a Raj Niwas official.

DSIIDC will provide basic infrastructure such as road network, sewage and drainage lines, solid waste management system, horticulture development, firefighting facilities, electrical, telecommunication and other maintenance and provision services, officials said.

THE INDIAN EXPRESS, FRID

HC tells DDA to cease construction near Lotus Temple

New Delhi: The Delhi High Court has directed Delhi Development Authority to cease construction on land located next to Kalkaji temple and Lotus Temple, observing that the construction was "likely to affect the skyline in the area". The order was passed in a batch of pleas concerning the redevelopment of Kalkaji temple. The DDA submitted that they should be permitted to use the land for social and religious functions, pursuant to which the HC called for an affidavit giving the details about the last time "this particular area of land was used for any such functions or whether it was maintained as a green area by DDA". **ENS**

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 5 मई 2023

कंझावला-बापरौला में तैयार होंगे नए इंडस्ट्रियल एरिया

एलजी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, 1220 एकड़ एरिया में होगा डिवेलप

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत बाहरी दिल्ली के कंझावला और बापरौला इलाके में नए इंडस्ट्रियल एरियाज डिवेलप करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलजी ने कंझावला में 920 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। वहीं बापरौला गांव में भी अतिरिक्त 300 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। एलजी ने डीडीए के परामर्श से दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को इन दोनों इलाकों में चिह्नित की गई भूमि के उपयोग को बदलने का निर्देश दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पहल से दिल्ली के इन उपेक्षित इलाकों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार पैदा होंगे।

एलजी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, उनका विस्तार करने और अवैध इकाइयों को गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने से रोकने के लिए एलजी ने कंझावला में 920 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। यह दिल्ली के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक होगा। यह कदम उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटनेंस अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार DSIISC के माध्यम से कंझावला के विकास को मजबूती देगा।

नए रोजगार पैदा होंगे

- एलजी ने दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को दोनों इलाकों में चिह्नित भूमि के उपयोग को बदलने का निर्देश दिया है
- एलजी ने उम्मीद जताई कि दिल्ली के इन उपेक्षित इलाकों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार पैदा होंगे।

बापरौला में 300 एकड़ भूमि में से DSIIDC के पास 137.63 एकड़ भूमि है, लेकिन अभी उसमें से मात्र 55.20 एकड़ जमीन का उपयोग ही औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हो रहा है। बची हुई 82.43 एकड़ भूमि के उपयोग को बदलने और ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2021 में डीडीए के द्वारा उसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की जरूरत है। एलजी के आदेश के बाद अब ये दोनों क्षेत्र औद्योगिक विकास के लिए दिल्ली में संयुक्त रूप से 1220 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएंगे। अब DSIIDC कंझावला को DIDOM अधिनियम 2010 के तहत एक औद्योगिक क्षेत्र में रूप मे अधिसूचित करेगा। इसी के साथ ऐसी इकाइयां, जो मास्टर प्लान 2021 के तहत नकारात्मक श्रेणी में नहीं आती हैं, उन्हें अब इन औद्योगिक क्षेत्रों से संचालित किया जा सकेगा। साथ ही DSIIDC द्वारा यहां रोड नेटवर्क, सीवेज, जल निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, अग्निशमन प्रणाली, बिजली, दूरसंचार और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा सकेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
FRIDAY
MAY 05, 2023

Hindustan Times | MY DELHI

Revived by residents, Dwarka pond now contaminated by toxic sewage

Jasjeev Gandhiok
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Sewage discharge into a 1.5-acre pond in Dwarka Sector 23 resulted in the death of all the fish in it, residents of the area alleged on Thursday, and said that the water body was polluted by a drain belonging to the Delhi Development Authority.

According to residents of sectors 22, 23 and the nearby Pochanpur village, the sewage flow on Wednesday into the pond — revived by them almost a decade ago — was through DDA's trunk drain-II for which the body is currently carrying out beautification work.

Hundreds of fish were seen floating on the surface in a matter of hours, the locals alleged.

Denying the allegation, DDA said that the discharge of excess sewage was by another "public utility department in charge of sewerage system".

Following the incident, locals wrote to the lieutenant governor, the Delhi government's environment department, the Pollution Control Committee (DPCC) and National Mission for Clean Ganga (NMCG), seeking action against DDA.

The residents have alleged that a natural channel was created by DDA, connecting the trunk drain-II to the pond by excavating the soil next to the drain which passes parallel to the water body. This, they alleged, led to the sewage water entering the water body.

The locals noticed the contamination after a strong foul smell began emanating from the pond, they said.

"Upon approaching the lake, we saw several dead fish floating on the surface. Others appeared to be struggling to get oxygen and had either ended up wriggling their way to the catchment area of the pond, or were constantly coming up to the surface. All the fish ultimately died," said Diwan Singh, a Dwarka resident and member of an LG-appointed Dwarka Water Bodies' Committee.

"We have demanded action against DDA. We were informed that some beautification work was ongoing for the trunk drain-II, which ultimately connects with the Najafgarh drain. In order to carry out some works, they had to temporarily remove all sewage, but instead of using septic tanks, officials simply opted to use the water body as an outlet," Singh alleged.

The water body was revived by locals in 2013 by gradually creating a catchment area with a deep basin in the middle. It was then connected to stormwater drains to utilise rainwater, which gradually began to accumulate over time, Singh said, adding that the fish in the water body is likely to be have been introduced by a resident in the area, with numbers naturally increasing over time.

Ravinder Kumar, 34, a resident of Pochanpur village which is located a few hundred metres from the water body, said the water's colour had changed over the last 48 hours, with the water becoming visibly murkier.

Though DDA stopped the flow of sewage into the water body hours after locals raised alarm, the damage was done.

"The water body sustains an entire ecosystem as the fish would attract birds," Kumar said, adding that the water in the pond had also been gradually reducing over the past few months, with DDA allegedly removing a natural catchment of the pond three months ago while carrying out drain beautification work.

When contacted, a DDA spokesperson denied the allegations.

"DDA is continuously taking and following up the matter for proper redressal of the problem. However, the sewerage into ponds through our drain was checked and no discharge was found," the spokesperson said.

The Delhi Jal Board also has pipes in the area.

DJB when contacted, did not respond to HT's queries for comment.

In a similar incident in July last year, hundreds of fish were found dead in the Najafgarh drain, resulting in the National Green Tribunal (NGT) ordering an inquiry into the incident.

An NGT-appointed committee in October identified a number of factors resulting in their death, including discharge of untreated waste from Haryana's sewage treatment plants, heavy rain a day before the incident, and high organic and chemical pollution in the drain.

Manu Bhatnagar, principal director of the natural heritage division at INTACH, who was part of the expert committee, said in the latest case, there are likely to be two causes leading to the death of fish, with the sewage not only likely reducing the level of dissolved oxygen but also leading to production of high amount of nitrites and ammonia.

"Generally, when fish die during the day, high ammonia and nitrites is the reason. This is due to sewage accumulating in a water body. If fish die at night, it id due to low levels of dissolved oxygen," he said.

The 1.5 acre pond in Dwarka Sector 23 was revived by residents of the area. VIPIN KUMAR/HT PHOTO

Dead fish floating on the surface of the pond. VIPIN KUMAR/HT PHOTO

> In order to carry out some works, (DDA), instead of using septic tanks, simply opted to use the water body as an outlet.
> **DIWAN SINGH,** member of Water Bodies' Committee

> DDA is following up the matter. However, the sewerage through our drain was checked and no discharge found.
> **SPOKESPERSON,** DDA

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI SATURDAY, MAY 6, 2023 -------DATED-----------------------

36 monuments, lakes, food counters: City to get another tourist destination by Dec

Atul Mathur & Vibha Sharma | TNN

New Delhi: Come December and people in Delhi will be able to see some of the most prominent Indian monuments without going out of town. From Meenakshi Temple of Tamil Nadu to Leh Palace of Ladakh and from Live Root Bridge of Meghalaya to Statue of Unity of Gujarat, the upcoming Bharat Vandana Park in Dwarka's Sector 20 will have the replicas of 36 prominent Indian monuments.

These are being made of similar material used in the original ones to give them the look and feel of the real ones.

The officers of Delhi Development Authority, which is developing the park, and National Building Construction Corporation (NBCC), the contractors, gave a presentation to lieutenant governor Vinai Kumar Saxena earlier this week. They informed the LG of the monuments chosen from each state and union territory for the park, which has been conceptualised to outline the heritage of India.

While most of these replicas are likely to be ready by December, when DDA is expected to throw it open to the public, officials said 3-4 miniature monuments, which involve intricate design work, may take an additional 2-3 months to be complete.

"The 36 monuments will be divided into seven clusters and will represent popular destinations, religious places, and historical sites of each state/union territory," stated the report on finalised sites.

"The first cluster (A) will have monuments from four cold regions such as Jammu and Kashmir's houseboat, Ladakh's Leh Palace, Himachal Pradesh's Viceregal Lodge and Uttarakhand's Kedarnath Temple. The second cluster will have replicas of monuments from north India such as Delhi's Parliament House, Punjab's Virasat-e-Khalsa, Haryana's Brahma Sarovar & Sarveshwar Mahadev Temple, Madhya Pradesh Kandariya Mahadev and Khajuraho Temple, Chandigarh's Open Hand Monument, Uttar Pradesh's Vishwanath Temple and Banaras Ghat," stated the report.

"The third cluster will have sites from Gujarat, Rajasthan, Dadra & Daman, Lakshadweep. The cluster D will have sites from Bihar, Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh and Sikkim."

Spread over 200 acres in Dwarka sub-city, Bharat Vandana Park is being developed as a major tourist destination. It is going to be a one-of-its-kind park with an eco-forest zone, several lakes, cultural and adventure sports facilities. The 'mini-India' park is an important component of the project.

"Each of these monuments will be accompanied by souvenir/art and craft shops, local cuisines, kiosks, performance plazas to hold events highlighting the culture of the place. These will be surrounded by water tracks with a boating facility," said officials.

Officials said the LG has also directed DDA to explore the possibility of providing visitors the opportunity to see what is actually inside the real monuments through virtual technology at these replicas.

"The LG has also directed DDA and NBCC to keep the park open and allow the general public, especially students, to come and see how the replicas are being prepared," said an official.

Among other highlights of the place include an 18-metre high skywalk to be connected with 44-metre-high nine pylons to get an aerial view of the complex, said a DDA official.

WHAT TO LOOK FORWARD TO

State/UT	Monuments	State/UT	Monuments
Andaman & Nicobar Islands	Cellular Jail	Lakshadweep	Light House
Andhra Pradesh	Lepakshi Nandi	Madhya Pradesh	Kandariya Mahadev temple
Arunachal Pradesh	Gorsam Chorten	Maharashtra	Ellora Caves
Assam	Kamakhya Temple	Manipur	Kangla Fort
Bihar	Golghar	Meghalaya	Living Root Bridge
Chandigarh	Open Hand	Mizoram	Engraving at Vangchhia Village
Chhattisgarh	Bhoramdev Temple	Nagaland	Naga Traditional gate
Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu	City of Twin Forts	Odisha	Konark Sun Temple
Delhi	Parliament House	Puducherry	Aayi Mandapam
Goa	Undecided	Punjab	Virasat-e-Khalsa
Gujarat	Statue of Unity	Rajasthan	Hawa Mahal
Haryana	Bramha Sarovar, Sarveshwar Mahadev Temple	Sikkim	Buddha Statue of Tathagata
Himachal Pradesh	Viceregal Lodge	Tamil Nadu	Meenakshi Temple
Jammu & Kashmir	House Boat	Telangana	Charminar
Jharkhand	Baidyanath Temple	Tripura	Ujjayanta Palace
Karnataka	Stone Chariot, Hampi	Uttar Pradesh	Varanasi Ghat, Kashi Vishwanath Temple
Kerala	Napier Museum building	Uttarakhand	Kedarnath
Ladakh	Leh Palace	West Bengal	Victoria Memorial

PUNJAB | VIRASAT-E-KHALSA

7 clusters of monuments to come up in different parts of the park

Each cluster to have
- Monuments
- Track boat
- Souvenir, art and craft shops
- Local cuisine kiosks
- Performance plazas

Total area 200 acres

Bharat Vandana Park, Sec-20, Dwarka

J&K | HOUSE BOAT

About the place | It is divided into nine petals and one main *sarovar* (waterbody) in the middle

LADAKH | LEH PALACE

HIMACHAL | VICEREGAL LODGE

Facilities at the park
- Congregation zone for picnics
- Cultural zone
- Pushpkriti Vatika
- Eco-zone and forest
- Meditation zone
- Fun park with animatronics
- Open gym
- Kids play area
- Adventure zone with zipline and tree-surfing trails
- Lake view restaurant

Features
- Sky bridge and pylons
- Observatory for aerial view
- *Sarovar* with paddle boat ride
- Wall of India
- Deck restaurant

Deadline December 2023

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 6 मई 2023 TED-

द्वारका : 'झील में नाले का पानी छोड़ने से मरीं सैकड़ों मछलियां'

लोगों ने लगाया आरोप, सेक्टर-23 की झील में हुई दिक्कत

■ विशेष संवाददाता, द्वारका

लोगों के काफी प्रयास के बाद द्वारका के सेक्टर-23 के डीडीए पार्क में पुनर्जीवीत हुई झील इन दिनों विवादों में है। नाले का गंदा पानी छोड़ने के बाद यहां मछलियों के मरने की बात से लोगों में गुस्सा है। लोग इसके लिए डीडीए को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं घटना के दूसरे दिन इस झील से मरी मछलियों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।

तीन क्विंटल के करीब मछलियां निकाली जा चुकी हैं, अब भी काफी संख्या में मछलियां झील में दिख रही हैं

झील को जिंदा करने की मुहिम में लगे 'सुख दुख के साथी' संस्था के एस एस मान ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली वह यहां पहुंचे। उन्होंने देखा की झील की सुरक्षा के लिए लगा गेट वहां नहीं हैं। हालांकि अब वहां मरी मछलियों को निकाले जाने का काम शुरू हो गया है। ताकि बदबू को खत्म किया जा सके और बीमारी न फैले। तीन क्विंटल के करीब मछलियां निकाली जा चुकी हैं, जबकि अभी भी काफी संख्या में मछलियां झील के पानी में दिखाई दे रही हैं। झील के आसपास लोग आ रहे हैं और वह डीडीए से काफी नाराज हैं।

झील के आसपास लोग आ रहे हैं और वह डीडीए से काफी नाराज हैं

एक्टिविस्ट दिवान सिंह ने बताया कि 2012 से ही इस झील पर लोग काम कर रहे हैं। द्वारका सेक्टर-22, 23 और पोचनपुर गांव के लोगों ने काफी मुश्किलों से इस झील को जिंदा किया था। उनकी सालों की मेहनत अब बर्बाद हो गई है। यह झील द्वारका से गुजर रही ट्रंक ड्रेन-2 के करीब है। डीडीए इस ड्रेन के ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहा है। ड्रेन को खाली करना था तो उसका पानी इस झील में छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले साल 14 मई 2022 को भी ऐसा ही हुआ था। तब लोगों ने इसकी पुलिस शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

> " झील में पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट के सीवर ओवरफ्लो की वजह से दिक्कत हुई है। हम जल्द समाधान की कोशिश कर रहे हैं। झील में जा रहे सीवर को चेक कर उसे ब्लॉक कर दिया गया है।
> -प्रवक्ता, डीडीए

पश्चिम विहार के डीडीए फ्लैट में कई महीनों से सीवर जाम

■ एनबीटी न्यूज, पश्चिम विहार : पश्चिम विहार के डीडीए फ्लैटों की हालत काफी दयनीय है। लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से यहां सीवर जाम है। जिसके कारण सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर पूरे परिसर में बह रहा है। ऐसे में लोगों का यहां से आना-जाना दूभर हो गया है। लोगों ने बताया कि सीवर के गंदे पानी से तेज दुर्गंध आती है। ऐसे में यहां एक मिनट खड़ा होना भी मुश्किल होता है। वहीं, इस समस्या को लेकर लोगों ने कई बार संबंधित प्रशासन से शिकायत की। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई।

स्थानीय निवासी अमित ने बताया कि वह पश्चिम विहार डीडीए ए-6 ब्लॉक में रहते हैं। पहले फ्लैट के पिछले हिस्से में सीवर जाम हो रखा था, जिससे सीवर ओवरफ्लो होकर पूरे परिसर में गंदा पानी बह रहा था। अब घर के सामने भी सीवर जाम हो गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MAY 7, 2023

LG seeks time-bound plan to revamp Mehrauli park

Orders Encroachment Removal From Archaeological Site

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: LG VK Saxena on Saturday visited several historical and archaeological sites at the Mehrauli Archaeological Park and directed the authorities concerned to work out a time-bound plan for restoration, preservation and removal of encroachments from, in and around the heritage places.

The LG, who was accompanied by Union minister of state for external affairs and culture Meenakshi Lekhi, also directed the officials to separate and preserve the carved stones and relics found at the site and keep them for a proper display in an upcoming museum at the location.

Spread in 65 hectares of land, the Mehrauli Archaeological Park has nearly 80 monuments and historical structures including Balban's Tomb, Jamali Kamali Mosque and other historical structures, apart from the iconic Qutub Minar.

The LG was accompanied by Union minister Meenakshi Lekhi

The LG also visited the 'baolis' (stepwell) nestled in Sanjay Van, a thick reserve forest, which is a part of the south-central ridge.

"The restoration and beautification of these places has to be done in coordination between the Archaeological Survey of India, Delhi Development Authority and other agencies concerned in a time-bound manner," Saxena said.

The LG also asked the departments to sort out their differences and advised them to take assistance from the experts in the respective fields.

While some areas at the Mehrauli Archaeological Park fall under the domain of ASI, some are under the DDA.

A **TOI** visit last year found a historical structure between Rajaon Ki Baoli and a Lodhi period tomb encroached, and some illegal structures on the edge of the park. The southwestern wall was broken, which led to illegal entry of bikers and animals, several small landfills and many monuments turned into drinking hubs.

The officials briefed the LG and the minister about the measures that needed to be taken for the restoration of the Balban's tomb, Jamali-Kamali Mosque, Rajaon Ki Baoli and other historical structures and water bodies.

At Sanjay Van, officials informed the LG and the minister about the Jain idols that were recovered during excavation. Saxena stressed that the restoration work of water bodies had to be expedited.

At a site in the complex where other activities were permitted without restrictions, Saxena directed the DDA to undertake extensive landscaping and facilitate the development of an eatery for thousands of visitors and tourists, who throng these sites.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 7 मई 2023

व्यू बचाने के लिए HC ने निर्माण पर लगाई रोक

Prachi.Yadav@timesgroup.com

कोर्ट में पेश की गई अस्थायी निर्माण की फोटो

■ **नई दिल्ली :** राष्ट्रीय राजधानी के दो मुख्य आकर्षण कालकाजी मंदिर और लोटस टेंपल से सटी एक जमीन पर अस्थायी निर्माण से इनके व्यू के प्रभावित होने की बात दिल्ली हाई कोर्ट ने मानी और विवादित जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोके जाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट को इसके बारे मे तब पता चला जब वह कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास की रूपरेखा तैयार करने से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था।

कोर्ट को बताया गया कि कालकाजी मंदिर और लोटस टेंप्रल से सटी एक जमीन पर निर्माण और खुदाई का काम चल रहा है। दावा किया गया कि डीडीए ने एस्वरा कामधेनू रेस्टोरेंट नाम से किसी तीसरे पक्ष को यह जमीन लीज पर दी है। हाई कोर्ट के सामने विवादित जमीन की तस्वीरें रखी गईं। सवाल उठने पर डीडीए ने कहा कि कथित निर्माण अस्थायी प्रकृति का है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि तस्वीरें इस बात में संदेह पैदा नहीं होने देती कि जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण 'लोटस टेंपल' के व्यू को प्रभावित करेगा। इतना ही नहीं, संबंधित जमीन कालकाजी मंदिर से सटी है, जिसके पुनर्विकास पर विचार चल रहा है।

> कालकाजी मंदिर और लोटस टेंपल से सटी जमीन पर हो रहा था अस्थायी निर्माण

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि साफ है, इससे इलाके की स्काईलाइन प्रभावित होगी। लोटस टेंपल का व्यू भी बाधित होगा। लिहाजा, आगे की जांच और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इसीलिए निर्देश दिया जाता है कि डीडीए या कॉन्ट्रैक्टर अपने आप इस जमीन पर निर्माण को रोक देंगे। इस पर डीडीए के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि अथॉरिटी को इस जमीन का इस्तेमाल सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए करने की इजाजत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पहले अथॉरिटी दो हफ्ते के भीतर वह हलफनामा दायर कर उसमें यह बताए कि उक्त जमीन पर आखिरी बार कब ऐसा कोई फंक्शन हुआ था या इसे ग्रीन एरिए के तौर पर सुरक्षित रखा गया।

हिन्दुस्तान 7/5/23

पुरातत्व पार्क के पास से अतिक्रमण हटाएं : एलजी

■ महरौली में केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री के साथ विकास कार्यों का निरीक्षण किया

नई दिल्ली, प्र.सं.। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को महरौली पुरातत्व पार्क में किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ क्षेत्र का संरक्षण करने के लिए तय सीमा में योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तालमेल के साथ इमारतों की मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को कहा कि यहां पाए गए नक्काशीदार पत्थर और महत्वपूर्ण अवशेषों को संरक्षित कर एक संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। उन्होंने बलबन का मकबरा, कमाली-जमाली मस्जिद और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। उपराज्यपाल कहा कि इन स्थानों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण समयबद्ध तरीके से तालमेल के साथ हो। महरौली के पुरातत्व पार्क का कुछ क्षेत्र एएसआई और कुछ क्षेत्र डीडीए के पास है।

उपराज्यपाल संजय वन भी पहुंचे और वन में जल निकायों के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने को कहा। उपराज्यपाल ने इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए डीडीए को एक भोजनालय के विकास की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED------------------------

संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 7 मई 2023

जलाशयों की जगह जिम, प्लेग्राउंड और कम्युनिटी हॉल

Prachi.Yadav@timesgroup.com

नई दिल्ली : एनजीटी के सामने डीजेबी के दावे के मुताबिक 155 जलाशयों को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। बोर्ड यह भी दावा करता है कि वह इस पर करीब 92.73 करोड़ रुपये खर्च चुका है। लेकिन वेस्ट दिल्ली के पंजाबी बाग जिले के एसडीएम की रिपोर्ट देखने से जलाशयो की वास्तविक स्थिति कुछ और नजर आ रही है। रिपोर्ट मुंडका गांव के जलाशयों की स्थिति से जुड़ी है, जो अधिकतर जगहों पर तालाब की जमीन पर जिम, प्लेग्राउंड, पार्क और कम्युनिटी हॉल बनने की बात कह रही है। ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब देने की प्रमुख जिम्मेदारी डीडीए की बताई गई, जो इन जमीनों का मालिकाना हक रखता है। पर, अथॉरिटी तो कोई स्पष्ट जवाब दे नहीं रही, बस इतना कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है कि वह एनजीटी के किसी भी आदेश पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल करेगी।

> एसडीएम की रिपोर्ट जमीनों के लैंडयूज में तब्दील और अतिक्रमण की कर रही है पुष्टि

ये सारे दावे मुंडका गांव में रहने वाले डॉ. जीत सिंह यादव की याचिका के संबंध में किए गए। यादव ने ट्रिब्यूनल को शिकायत की थी कि यहां तालाबों को अवैध रूप से भरा जा रहा है और जमीन का लैंड यूज बदल कर उसे कथित तौर पर हड़पा जा रहा है। एनजीटी के निर्देश पर इलाके के एसडीएम, डीजेबी और डीडीए ने इस पर अपने जवाब और स्टेटस रिपोर्ट दायर की।

दिल्ली जल बोर्ड के दावे

155 जलाशयों को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। ये जमीनें डीडीए, बीडीओ, एएसआई और एमसीडी के अधीन हैं। AMRUT योजना के तहत 23 जलाशयों पर विचार हो रहा है। जहां तक जलाशयों की जमीन के मालिकाना हक की बात है तो शुरुआत में यह अधिकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास थी। अब सारी जमीनें डीडीए को सौंपी जा चुकी है।

डीडीए ने किया बचाव

शिशुवाला तालाब पर जो काम चल रही है, वह डीजेबी का है। काम पूरा होने के बाद उसे जमीन अथॉरिटी को सौंपी जाएगी। एसडीएम की रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं। बाकी तीन के बारे में बोर्ड ने कहा कि सीमांकन कराने पर ही पता चलेगा कि कितनी जमीन तालाब के हिस्से की है।

DDA और ASI को मिलकर महरौली पुरातत्व पार्क को डिवेलप करने के निर्देश

उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मीनाक्षी लेखी ने किया पार्क का दौरा

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ शनिवार को महरौली पुरातत्व पार्क में कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों का दौरा किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र के भीतर और आसपास से अतिक्रमण को हटाने के लिए तय समय पर योजना बनाने का निर्देश दिया। लेखी ने संबंधित अधिकारियों को मरम्मत और जीर्णोद्धार के कामों में विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया।

इस दौरान उपराज्यपाल और मीनाक्षी लेखी के साथ दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और

File Photo

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। इन स्थलों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम समय पर पूरा करने के लिए एएसआई, डीडीए और अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच तालमेल बैठाने को कहा गया। उपराज्यपाल ने भी आश्वासन दिया कि उनकी ओर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

उपराज्यपाल ने इन स्थानों के अपने दौरे के दौरान यह साफ कर दिया कि संबंधित विभागों को अपने मतभेदों को दूर करना चाहिए और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकते हैं। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि लोग उन शासकों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इन संरचनाओं का निर्माण किया, लेकिन उन शासकों के बारे में जानने की भी जरूरत है। वहीं एलजी ने इन साइटों पर आने वाले हजारों पर्यटकों के लिए डीडीए को एक रेस्टोरेंट की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया।

Hindustan Times NEW DELHI SUNDAY MAY 07, 2023

LG takes stock of work at Mehrauli park

LG Saxena at the Mehrauli Archaeological Park on Saturday. HT

NEW DELHI: Delhi lieutenant governor (LG) VK Saxena on Saturday directed the authorities concerned to work out a time-bound plan to restore and preserve heritage sites at the Mehrauli Archaeological Park, and remove encroachments around it, officials aware of the matter said. The LG also asked officials to preserve any carved stones or relics found at the site during the restoration works, which will be displayed inside an upcoming museum at the location, the officials said.

Reviewing the ongoing works at the site, Saxena directed the DDA to undertake landscaping works in the area, including constructing eateries.

The directions came during his visit to the archaeological park in south Delhi, which houses Balban's Tomb, the Kamali Jamali Mosque and other historical structures.

The LG, along with Union minister Meenakshi Lekhi, government officials and experts, also visited baolis in Sanjay Van. While some sites are looked after by ASI, the others fall under DDA. Saxena said the restoration and beautification of the sites need to be done in coordination between ASI and DDA, the officials said. HTC

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS ---------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 7 मई, 2023

ऐतिहासिक स्थलों का जल्द किया जाए जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण : वीके सक्सेना

एलजी ने बलबन का मकबरा सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का किया दौरा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को महरौली आर्कियोलाजिकल पार्क स्थित बलबन का मकबरा, जमाली-कमाली मस्जिद और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। उन्होंने इन साइटों पर आने वाले हजारों पर्यटकों के लिए डीडीए को व्यापक लैंडस्केपिंग करने और एक भोजनालय की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। उनके साथ केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ), डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र के भीतर और आसपास से अतिक्रमण हटाने, क्षेत्र का संरक्षण करने और इमारतों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए तय सीमा में योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन सभी महत्वपर्ण अवशेषों को एक संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरक्षित संजय वन में मौजूद बावली का भी निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने कहा कि इन स्थलों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण समयबद्ध तरीके से एएसआइ, डीडीए और अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय से किया जाना चाहिए। इसके लिए वह इस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकते हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि उनके कार्यालय द्वारा इस काम के लिए हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा।

महरौली के आर्कियोलाजिकल पार्क मे दौरे पर आए एलजी वीके सक्सेना व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ● सौ. एलजी कार्यालय

महरौली के आर्किलाजिकल पार्क में कुछ क्षेत्र एएसआइ और कुछ डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है। विशेषज्ञों ने मध्ययुगीन शासक बलबन के मकबरे, जमाली-कमाली मस्जिद, राजाओं की बावली और अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं के जीर्णोद्धार और विकास के उपाय साझा किए। इस दौरे का अंतिम पड़ाव संजय वन था, जहां उपराज्यपाल को एएसआइ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बताया कि खोदाई के दौरान मिली वस्तुओं में जैन मूर्तियां और कुछ अन्य मूर्तियां शामिल हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
नई दिल्ली 8 मई 2023

OF NEWSPAPERS

लोटस टेंपल और कालकाजी मंदिर के पास निर्माण पर रोक

जासं, नई दिल्ली : लोटस टेंपल और कालकाजी मंदिर से सटी भूमि पर हो रहे निर्माण को रोकने का दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है। अदालत ने यह देखते हुए यह निर्देश दिया कि इससे लोटस टेंपल का आकर्षण प्रभावित होने की आशंका है। मंदिर के पुनर्विकास से संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह की पीठ ने विभिन्न तस्वीरों का अवलोकन करते हुए कहा कि भूमि पर बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। हालांकि, डीडीए ने दावा किया कि निर्माण प्रकृति में अस्थायी है, जबकि अदालत ने कहा कि इस तरह का कोई भी निर्माण लोटस टेंपल के आकर्षण को प्रभावित करेगा। सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया गया कि कालकाजी मंदिर और लोटस टेंपल से सटी जमीन में नए सिरे से निर्माण और खोदाई की जा रही है। मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

चांदनी चौक के 64 पार्कों में है वर्षा जल संचयन की व्यवस्था

साक्षात्कार

सांसद डा. हर्षवर्धन

दिल्ली एनसीआर में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसमें मुगलकालीन बसावट चांदनी चौक भी है। जिसके पास से कभी यमुना गुजरती थी, जिसके बीच से कभी नहर बहती थी। अब पानी के लिए भटकते लोग दिख जाते हैं। ऐसे में इस समस्या को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और उसकी कार्याजनाओं में कितनी गंभीरता है। इसपर **नेमिष हेमंत** ने चांदनी चौक के सांसद डा. हर्षवर्धन से बात की...

• चांदनी चौक में वर्षा जल संचयन के लिए कई इतजाम है, जो समय के साथ बदहाल होते गए, जल संकट को लेकर फिर से ऐसे इंतजामों की कितनी आवश्यकता है?

–दिल्ली में बढ़ती आबादी और घटते भू-जल स्तर के मद्देनजर जल संकट की चुनौती हमारे समक्ष है। सभी को स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हैं, जिसमें वर्षा जल संचयन सबसे महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि मेरे संसदीय क्षेत्र चांदनी चौक में सरकारी विभाग जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड आदि कार्य कर रहे हैं।

• इसे लेकर आपके द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में कोई प्रमुख कार्य शुरू कराया गया है? और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? आगे कोई योजना प्रस्तावित है?

– मेरे संसदीय क्षेत्र चांदनी चौक में कुल 64 पार्कों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई है, जिसमें 62 स्थानों के वर्षा जल संचयन की व्यवस्था को दिल्ली नगर निगम तथा दो पार्कों की वर्षा जल संचयन की व्यवस्था को दिल्ली विकास प्राधिकरण देखता है। साथ ही, क्षेत्र के सभी सरकारी विभागों के कार्यालयों में भी वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों में तीन और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है।

• वर्षा जल बचाने या पानी के किफायती उपयोग पर आरडब्ल्यूए, मार्केट संगठनों व चांदनी चौक क्षेत्र निवासियों की भूमिका को किस तरह देखते हैं?

–वर्षा जल बचाने या पानी के किफायती उपयोग पर आरडब्ल्यूए, मार्केट संगठनों व चांदनी चौक क्षेत्र के निवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके सहयोग के बिना सरकारी विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का पूर्ण होना संभव नहीं है। आरडब्ल्यूए व मार्केट संगठन सदैव जनता के लिए कार्य करते हैं, अतः इनका जनता से सीधा संपर्क रहता है। जनता भी इनकी अपील को मानती है। आरडब्ल्यूए व मार्केट संगठनों से मेरा निरंतर संपर्क बना रहता है। समय-समय पर इन संगठनों से तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैं लोगों से अपील करता रहता हूं कि जल संरक्षण के लिए वे विशेष तौर पर कार्य करें तथा लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, सोमवार, 8 मई 2023

डीडीए 14 हजार फ्लैट्स की योजना लॉन्च करेगा

अच्छी खबर

■ ज्यादातर फ्लैट्स नरेला और सिरसपुर इलाके में होंगे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली में घर लेने की योजना बना रहे हैं तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आपके लिए 14 हजार के करीब फ्लैट्स की बिक्री के लिए हाउसिंग योजना लेकर आ रहा है। ये वे फ्लैट्स हैं जो पुरानी योजनाओं में नहीं बिके थे। डीडीए अब पुरानी योजनाओं की खामियों को दूर करके इसे दोबारा से लोगों के लिए लॉन्च करेगी। सब कुछ ठीक रहा तो यह योजना इस माह के अंत तक जारी हो सकता है।

डीडीए अधिकारियों के मुताबिक, बचे हुए फ्लैट्स को लेकर इस सप्ताह अधिकारियों की एक बैठक हो सकती है। फ्लैट्स की कीमत बाजार की कीमत के अनुरूप होगी। इसमें क्या रियायतें मिलेगी इसपर अधिकारियों की होने वाली बैठक में फैसला होगा। योजना पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसमें वे भी आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास दिल्ली में पहले से मकान है। उनके मकान का आकार 67 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसमें ज्यादातर फ्लैट वो होंगे, जहां पर पहले से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। मसलन, सीवेज शोधन संयत्र की सुविधा मिलेगी, जलापूर्ति की सुविधा रहेगी। मेट्रो कनेक्टिविटी व सार्वजनिक परिवहन के अन्य माध्यमों से भी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें ज्यादातर फ्लैट नरेला व सिरसपुर इलाके के होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर डीडीए फ्लैट्स वाले इलाके में पुलिस बूथ व थानों के लिए भी जमीन का आवंटन कर रही है।

अधिग्रहण को मूल मालिक ही दे सकता है चुनौती: कोर्ट

■ शीर्ष अदालत ने कहा, जमीन खरीदने वाले को अधिकार नहीं

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 'भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार सिर्फ जमीन के मूल मालिक को है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने डीडीए की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने शिव कुमार (सुप्रा) और गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में पारित फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बाद के जमीन खरीदार के पास अधिग्रहण को चुनौती देने या प्रक्रिया को समाप्त घोषित करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि कानून के तहत सिर्फ जमीन के मूल मालिक को ही अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जमीन खरीदने वाले की याचिका पर अधिग्रहण की प्रक्रिया को समाप्त मान लिया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER नई दिल्ली, 8 मई, 2023 **दैनिक जागरण** -DATED------------------

कबाड़ से तैयार हुई जी-20 सदस्य देशों के पशु-पक्षियों की आकृति

शिवांगी चंदवंशी • दक्षिणी दिल्ली

आगामी सितंबर माह में भारत जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसको लेकर राजधानी दिल्ली को खूबसूरत बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी चौराहों को सुंदर पौधों से सजाने का काम किया जा रहा है। कई जगह नए स्ट्रेच लाइन को बनाया गया है। कभी फूलों से जी-20 सदस्य देशों के पशु-पक्षियों की आकृति बनाई जा रही तो कभी कबाड़ से। मैदान गढ़ी गांव स्थित ललित कला अकादमी में कबाड़ के रूप में बचे लोहे, घर के बर्तनों, सिलेंडर, प्लास्टिक और बाइक व साइकिल के पुर्जों से पशु-पक्षियों की आकृति तैयार की गई है। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि देश के अलग-अलग राज्यों से आए शिल्पकारों की ओर से बनाई गई यह आकृति 15 मई को चाणक्यपुरी के मैत्री पार्क में सजावट के तौर पर लगाई जाएंगी।

मेटल स्क्रैप से बने पेड़ पर बनाए गए इटली के राष्ट्रीय पक्षी गौरैया के साथ शिल्पकार सुकन्या • जागरण

400 किलो लोहे से बना इटली का राष्ट्रीय पक्षी: बिहार के भागलपुर से आई सुकन्या ने 400 से 500 किलो लोहे के कबाड़ का इस्तेमाल करके पेड़ और उस पर बैठी हुई सात गौरैया को बनाया है।

सुकन्या ने बताया कि यह आकृति एक कहानी पर आधारित है। जिस तरह से गौरया हमेशा अपने समूह में रहती है उसी तरह यहां बनाए गए पेड़ पर सात गौरैया है जो आपस में बात कर रही हैं। इसलिए मैंने इसका टाइटल गपशप दिया है। उन्होंने बताया कि गौरया से हमारा जुड़ाव काफी अधिक है, क्योंकि यह बिहार का भी राजकीय पक्षी है। इसको बनाने के लिए हमें 15 दिन दिए गए थे, लेकिन मैंने इसे 10 दिन में बनाकर तैयार कर दिया।

बाइक के पुर्जों से तैयार किया गया कुवैत का राष्ट्रीय पशु: ललित कला अकादमी में कुवैत का राष्ट्रीय पशु बनकर तैयार हुआ है। इसे बाइक और साइकिल के पुर्जों से तैयार किया गया है। शांति निकेतन के गोपाल ने बताया कि यह ऊंट करीब 12 फीट का है और इसे बनाने में 200 क्विंटल लोहा लगा है। उन्होंने बताया कि मैंने इसे आठ दिनों में तैयार कर दिया है। गोपाल का कहना है कि भारत के इतने बड़े महोत्सव में अपनी भागीदारी देकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 10 सालों की कला, मेहनत और लगन जब देश के लिए काम आता है तो अच्छा लगता है।

वहीं इसके अलावा अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पशु प्यूमा, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु स्प्रिंगबाक, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, मेक्सिको का राष्ट्रीय पशु सुनहरा ईगल व अन्य देशों के राष्ट्रीय पशु-पक्षियों को स्क्रैप मेटल से तैयार किया गया है।

पूरी दुनिया में होगा कलाकारों का नाम

ललित कला अकादमी की रीजनल सैंटर इंचार्ज गायत्री माथुर ने बताया कि इन पशु-पक्षियों को बनाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन शिल्पकार ने मेहनत और लगन से इसे जल्द पूरा कर लिया है। यहा 19 देशों के राष्ट्रीय पशु व पक्षी बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके लिए नई दिल्ली नगर निगम की ओर से एक टन से अधिक कबाड़ मेटल उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने बताया कि जब इन्हें चाणक्यपुरी के वेस्ट टू वंडर पार्क में स्थापित किया जाएगा तो प्रत्येक कलाकृति पर कलाकारों का नाम व उनके बारे में लिखा जाएगा। इससे देश के साथ-साथ विदेश से आए मेहमान भी उन्हें जान सकेंगे।

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, MAY 8, 2023

SC PANEL RECOMMENDS APPROVING PLAN

Heritage trails, replanting orchards on the cards for Mehrauli Park facelift

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 7

BATTERY-OPERATED vehicles, replanting "historical orchards", heritage trails — these are part of a proposed layout plan for the Mehrauli Archaeological Park proposed by the Delhi Development Authority (DDA). The Central Empowered Committee of the Supreme Court has recommended that the court may consider approving the plan, which involves dividing the 75.49-hectare park into four zones.

The archaeological park is part of the South-central ridge, and part of notified reserved forest. Of the total area, around 40.69 acres is woodland, in addition to 55 monuments and the park that already lies in the area.

While recommending approval, the CEC has said that connectivity to the monuments in the park is necessary by improving and developing tracks and only "basic tourism infrastructure and facilities" are included in the proposal. The committee's report also said the woodland will be protected.

The CEC noted: "The two parts of the park, presently bifurcated by road, are proposed to be linked through a semi-underground pass 12 metres in width and 3 metres in height…"

In zone one, spanning around 77.53 acres, "revived historical orchards," heritage trails, an open-air theatre, a children's play area, battery-operated vehicle routes, shelters or pavilions, kiosks, pedestrian, and vehicular entries and car parking are proposed.

The smaller zone two, covering 33.5 acres, will include outdoor temporary exhibition areas, yoga and meditation areas with "space for events" and areas for workshops, food festivals and temporary bazaars, kiosks and interpretation centres.

Zone three, covering around 37.72 acres, will comprise the forest areas that are part of the archaeological park. It will be "developed as a nature park" with an "adventure play area," nature trails, kiosks, and a bird park, according to a recent report submitted by the CEC to the Supreme Court.

Zone four, another 37.78 acres, is likely to include a rock garden, camping area, orchards, and a butterfly park. These zones will also include public utilities and signages.

The DDA has also proposed to integrate the Qutub Minar complex with the park.

On what these historical orchards are likely to be, the proposal says that native plants associated with the Ridge will be re-introduced.

Around 1.48 hectares of forest land is likely to be diverted for tracks, toilets, kiosks, a restaurant, nature interpretation centre, and security cabins. However, the DDA proposal says no trees will be felled.

The Ridge Management Board in Delhi had recommended the proposal for the CEC's approval.

When the DDA carried out demolitions of homes near the archaeological park earlier this year, it had said then that the land is being reclaimed for its "rightful use by all citizens as a park" and that "the Hon'ble High Court of Delhi has, on many occasions, directed the government authorities to secure, protect and preserve the area falling under Mehrauli Archaeological Park by removing illegal encroachment".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, MAY 8, 2023 --------DATED-----------------------

2 lakes brought to life at Baansera, musical fountain in offing

Vibha.Sharma@timesgroup.com

Photos: Piyal Bhattacharjee

This waterbody is about three metres deep, spreading over 5 acres and can hold 35 lakh litres at a time, sourced through nearby STP installed at Smriti Van

New Delhi: The Delhi Development Authority (DDA) has rejuvenated two waterbodies connected to Baansera, the city's first bamboo-themed park, and plans to install a dancing fountain with the help of Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) in one of them.

The bamboo park is on the Yamuna riverfront and treated water from one of the lakes will be used for irrigation in Baansera.

A senior DMRC official said that a tender has been floated for the musical fountain.

A DDA official said: "The DMRC came to us with a proposal to install a musical fountain of 10m width, 90 m length and 8 m (25 ft) height in the waterbody in middle of the park and we have agreed to the project. We have already installed six small fountains for aeration and for improving biochemical oxygen demand (BOD) level. The installation of the musical fountain will surely improve the aesthetics of the place."

This waterbody is about three metres deep, spread over 5 acres and holds 35 lakh litres of water sourced from nearby STP installed at Smriti Van.

"The treated water is used for irrigation within the park and the waterbody is filled with fresh treated water after an interval of time. However, with the project for installing the dancing fountain getting finalised, we have started reducing the water supply so that the level can go down for some time and the fountain can be installed," the DDA official added.

The other revived water body is 3 metres deep, spread over 3 acres and near the entrance of the park from the Sarai Kale Khan traffic signal.

"Baansera Park is basically part of Kalindi Aviral project for the rejuvenation of the Yamuna banks and spread over 100 hectares," the official said.

The DDA is planting 22,150 saplings on the second portion (about 27 hectares) and developing a 100-150-metre buffer zone after planting 2.5 lakh riverine grasses.

About the survival of the bamboo saplings, officials said the results have been encouraging.

"We have developed lawns with manicured grass and beautified them with plantations of seasonal flowers from time to time. These plants are developed through seeds sown at our nurseries. Another attraction is the deck point, which is 10 metres high from the road level and developed after levelling uneven terrain earlier. From this deck one can see Humayun's tomb on one site, Barapullah 4 on other and Yamuna River in between," said the official.